सा का ति. 508 :--- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परेन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आय[विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान), उपाचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्या भाषा प्रथा प्रथा प्रथा प्रथा पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रयात् :----1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुविज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीग माचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान), उपाचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक. (शरीर क्रिया विज्ञान), (समूह "क" राजपति

पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिदिष्ट पदी को लागू होंगे। 3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :--- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहंताएं आदि :--- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहंताएं और उससे संबंधित अ अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिदिष्ट हैं। बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिदिष्ट हैं।

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या 5. निरहेता :--- वह व्यक्ति, ---

(ख) जिसने ग्रापने पति या ग्रापनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

ु उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के ग्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के ग्रधीन ग्रनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए ग्रन्य श्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रकार से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :---

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना ग्रावश्यक या समीचीन हैं; वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेख-बद्ध करके और संघ लोक सेवा ग्रायोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, ग्रादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :---

इन नियमों की कोई बात, ऐसे ग्रीरिक्षणी, ग्रीयू-सीमी में छूट और ग्रेन्य रियेयितीं पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गेए ग्रीदेशी के ग्रेनुसरिंग्रनुपूर्चित जीतियी, ग्रनुसूचित जनजातियों, ग्रन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और ग्रन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना ग्रंपेक्षित है।

	ग्रनुसूची
--	-----------

पद का नाम	पदों की संख्यां	वर्गीकरण	वेतनमान	
	2	- 3	4	مر می بداد اور برای می بداد اور
1. ग्राचार्य, (शरीर किया विज्ञान)	1 ^{**} (2002) *(कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेंबी, समूह 'क', राजपवित <mark>अ</mark> र्नेनुैर्सेचिँषीय	18600-500-22 जमों प्रैंकिट्स केवल चिकित्सीय लिए	बेंदी भत्ता
nan lawa juan juan juan juan juan juan juan jua	and the part of the part and the part of t			
चयन योग्यता या चयन-सह-ज्येग के ग्राधार पर या ग्रचयन पद	ञ्ठता सीधे भर्ती किए जाने वाले ब	यक्तियों के लिए आयु-सीभा	सेवों में जोड़े गए वर्षों केंन्द्रीय सिविल सेव नियम, 1972 के नि मधीन अनुजेव है वा न	ों (पेंशन) यम 30 के
5		6	7	a ganan manja manji katina tanan manji manji danat
लागू नहीं होता	श्रीदेशों के अनुसार वर्ष तक शिथिल की	जारी किए गए ग्रनुदेशों या सरकारी सेवकों के लिए 5 ाजा सकती है) प्रवधारित करने के लिए	जी इतं	1997 (m. j. 1997) 1997 (m. j. 1997) 1997 (m. j. 1997)
	निर्णायक तारीख भ प्राप्त करने के लिए होगी (न कि वह मेघालय, अरुणाचल	ारत में अभ्यर्थियों से आवेदन नियत की गई अतिम तारीख अंतिम तारीख जो असम, प्रदेश, मिजोरेम, मर्णिपुर,		
	लद्दाख खंड, हिमाच स्पीति जिले तथा	विकम, जम्मू-कश्मीर राज्य के तल प्रदेश के लाहौल और चम्बा-जिले के पागी उपखेडे, र द्वीप या लक्षद्वीप के ग्रॅम्य- की गई है।)		

	: DEC. 14, 2002/ AGRAHAYANA 23, 1924 [PART 1]	yes a -
and the second second second second	1 ज्येष्ठ प्राध्यापकों, उपाचार्यों और	2
	नायों की श्रेणियों में ग्रचिकित्सीय ग्राईताओं चार्यों की श्रेणियों में ग्रचिकित्सीय ग्राईताओं	
की	4 get 4 641 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 4	
and the second	कुल सख्या के तास प्रातशत संव्यापन पुरुष गी। इ. २. जटां ग्रांचार्य के पद को विभागाध्यक्ष के	
		· · · ·
	ान्यताप्राप्त ग्राधारिक विश्वविद्यालय ग्रायुविज्ञान	
उए	ान्यताप्राप्त ग्राधारिक विश्वविद्यालय श्रापुपिशाप पाधि ग्रह्तैता या समतुल्य ग्रह्ता वाले ग्रध्यापकों ते उस पद पर नियुक्ति की जाएगी ।	
भुक्तिक सामग्री में भुकि के दिन के कि	ते उस पद पर नियुक्ति का जाएगा ।	
Anne States and the second second	परिवीक्षा की	. ज्यवधि
	श्वित सीव भर्ती किए जाने वाल व्याक्तिया	
सीध भता किए जान पाल जन तरा है।	के लिए विहित ग्रायु और शक्षिक	
ग्रैक्षिक और म्रन्य म्रर्हताएं	कालए विवहत आपु आरस्तम ग्रहताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों को	
	10	
		ाने वाले व्यक्ति
ग्रावश्यक	ग्रायुः न्हा गैक्षिक ग्रहंताः हां के लिए एक वर्ष	1
ग्रावश्यक 1 क (i) भारतीय ग्रायुविज्ञान परिषद् ग्रधि 1956 (1956 का 102) की ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रर्हता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा	िकिसी एक रिक विश्व- रि वह किसी ारतीय चिकि-	
1956 (1956 को 102) यो ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रर्हता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो	िकिसी एक रिक विश्व: रि वह किसी रितीय चिकि- । लय/संस्थाा से	
1956 (1956 को 102) पा ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रर्हता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यान	िकिसी एक रिक विश्व- ोर वह किसी गरतीय चिकि- । लय/संस्था से /एम एस सी	
1956 (1956 को 102) पा ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रर्हता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ	िकिसी एक रिक विश्व- ोर वह किसी गरतीय चिकि- । लय/संस्था से /एम एस सी	
1956 (1956 को 102) पा ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रर्हता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य	िकिसी एक रिक विश्व- ोर वह किसी गरतीय चिकि- । लय/संस्था से /एम एस सी	
1956 (1956 को 102) था ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रर्हता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या	िकिसी एक रिक विश्व: रितीय चिकि- । लय/संस्था से /एम एस सी एम. वी.	
1956 (1956 को 102) पा ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रर्हता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या	िकिसी एक रिक विश्व: रितीय चिकि- । लय/संस्थाः से /एम एस सी एम. वी.	
1956 (1956 को 102) पा ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रर्हता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या गम सी (चिकित्सीय शरीर कि	िकिसी एक रिक विश्व: रितीय चिकि- । लय/संस्थाः से /एम एस सी एम. वी. लय से एम या विज्ञान)	
1956 (1956 को 102) पा ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रर्हता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर कि	िकिसी एक (रिक विश्व:)र वह किसी गरतीय चिकि- । लय/संस्थाः से /एम एस सी एम. वी. एम. वी. या विज्ञान)	
1956 (1956 को 102) पा ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रर्हता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर कि या समतुल्य।	िकिसी एक (रिक विश्व:)र वह किसी गरतीय चिकि- । लय/संस्था से /एम एस सी एम. वी. गलय से एम या विज्ञान) गलय/संस्था से	
1956 (1956 को 102) पा ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रर्हता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर कि या समतुल्य।	िकिसी एक (रिक विश्व:)र वह किसी गरतीय चिकि- । लय/संस्था से /एम एस सी एम. वी. गलय से एम या विज्ञान) गलय/संस्था से	
1956 (1956 को 102) पा ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रहता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर कि या समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या पी एच, डी. (चिकित्सीय	िकिसी एक [रिक बिश्व-]र बह किसी [रतीय चिकि-] लय/संस्था से एम. वी. एम. वी. ालय/संस्था से जरीर किया	
1956 (1956 को 102) पा ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रर्हता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर किया पा समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर किया पा समतुल्य।' (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर किया पा समतुल्य।' (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या पी. एच. डी. (चिकित्सीय पी. एच. डी. (चिकित्सीय	िकिसी एक रिक विश्व: रि बह किसी रितीय चिकि- । लय/संस्था से एम एस सी एम वी. लय/संस्था से बा विज्ञान) लय/संस्था से बरीर किया केरसीय करीर	
1956 (1956 को 102) पा ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रर्हता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर क्रि या समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या पी. एच. डी. (चिकित्सीय विज्ञान)/डी. एस. सी. (चिकि	िकिसी एक (रिक बिश्व-)र बह किसी गरतीय चिकि- ! लय/संस्था से एम. वी. एम. वी. गलय/संस्था से गरीर किया केत्सीय गरीर	
1956 (1956 को 102) पो प्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रहता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर कि या समतुल्य।' (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या पी. एच. डी. (चिकित्सीय विज्ञान)/डी. एस. सी. (चिवि कियाविज्ञान) या समतुल्य।	ि किसी एक िरिक बिश्व- िर बह किसी ारतीय चिकि- ! लय/संस्था से एम एस सी एम. बी. ालय/संस्था से जरीर किया के पश्चात् उस	
1956 (1956 को 102) पो प्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रहता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर कि या समतुल्य।' (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या पी. एच. डी. (चिकित्सीय विज्ञान)/डी. एस. सी. (चिवि कियाविज्ञान) या समतुल्य।	ि किसी एक िरिक बिश्व- िर बह किसी ारतीय चिकि- ! लय/संस्था से एम एस सी एम. बी. ालय/संस्था से जरीर किया के पश्चात् उस	
1956 (1956 को 102) पो प्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रहता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर कि या समतुल्य।' (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या पी. एच. डी. (चिकित्सीय विज्ञान)/डी. एस. सी. (चिवि कियाविज्ञान) या समतुल्य।	ि किसी एक िरिक बिश्व- िर बह किसी ारतीय चिकि- ! लय/संस्था से एम एस सी एम. बी. ालय/संस्था से जरीर किया के पश्चात् उस	
 1956 (1956 को 102) पा प्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रर्हता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर क्रि या समतुल्य।¹ (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या पी. एच. डी. (चिकित्सीय विज्ञान)/डी. एस. सी. (चिकि कियाविज्ञान) या समतुल्य। (2) स्नातकोत्तर ग्रर्हता ग्रजित करने वृत्ति में 10 वर्ष का ग्रनुभव ति वर्ष किसी मान्यताप्राप्त ग्रा विद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचाय 	ि किसी एक रिक वियव- रि वह किसी रितीय चिकि- । लय/संस्था से एम एस सी एम. वी. ख्या विज्ञान) ख्या विज्ञान) ख्यारि किया कत्सीय शरीर के पश्चात् उस जिसमें से चार युविज्ञान महा- यूर्गिद्याचार्य के	
 1956 (1956 को 102) पा प्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रहता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर क्रि या समतुल्य।¹ (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या पी. एच. डी. (चिकित्सीय विज्ञान)/डी. एस. सी. (चिकि कियाविज्ञान) या समतुल्य। (2) स्नातकोत्तर ग्रहता ग्रजित करने वृत्ति में 10 वर्ष का ग्रनुभव ति वर्ष किसी मान्यताप्राप्त ग्रा विद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचाय हम में टोना चाहिए। 	िकिसी एक रिक विख्यः रि वह किसी रितीय चिकि- ! लय/संस्था से एम एस सी एम. वी. ख्य/संस्था से गरीर किया केरसीय शरीर के पश्चात् उस जिसमें से चार युविज्ञान महा- यू/सह्याचार्य के	
 1956 (1956 को 102) पा प्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रहता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर कि या समतुल्य।¹ (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या पी. एच. डी. (चिकित्सीय विज्ञान)/डी. एस. सी. (चिवि कियाविज्ञान) या समतुल्य। (2) स्नातकोत्तर ग्रहंता ग्रजित करने वृत्ति में 10 वर्ष का ग्रनुभव रि वर्ष किसी मान्यताप्राप्त ग्रा विद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचाय रूप में होना चाहिए। 	ि किसी एक रिक विश्व- रेर वह किसी रितीय चिकि- । लय/संस्था से एम एस सी एम. वी. लय/संस्था से गरीर किया कत्सीय जरीर के पश्चात् उस् जिसमें से चार युविज्ञान महा- र्य/संह्याचार्य के	
 1956 (1956 को 102) पा प्रनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधा विद्यालय या समतुल्य ग्रहता औ राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भा त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एम डी (शरीर किया विज्ञान) (शरीर किया विज्ञान) के साथ बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या एस सी (चिकित्सीय शरीर कि या समतुल्य।¹ (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या पी. एच. डी. (चिकित्सीय विज्ञान)/डी. एस. सी. (चिवि कियाविज्ञान) या समतुल्य। (2) स्नातकोत्तर ग्रहंता ग्रजित करने वृत्ति में 10 वर्ष का ग्रनुभव रि वर्ष किसी मान्यताप्राप्त ग्रा विद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचाय रूप में होना चाहिए। 	ि किसी एक रिक वियव- रि वह किसी रितीय चिकि- । लय/संस्था से एम एस सी एम. वी. ख्या विज्ञान) ख्या विज्ञान) ख्यारि किया कत्सीय शरीर के पश्चात् उस जिसमें से चार युविज्ञान महा- यूर्गिद्याचार्य के	

/

8	When the Area Apple	
James Jim Jin 1	4	
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता	(ग्रहंताएं) संघ	an at an a star a star a star a construction and the star and the star at a star a star at a star at a star at a
लोक सेवा आयोग के विवेकानुसा	र अनुसूचित जातियो	
या अनुसूचित जनजातियों व दशा में तब शिथिल की जास	त्र ग्रभ्याथया का सन्दर्भ से सन्दर्भनान	and the second state of the se
के किसी प्रक्रम पर संघ लोक	कता ह जब चयन मेता रूपगोग की पन	
राय है कि उनके लिए ग्रारधि	तवा आयाग का यह	
भरने के लिए ग्रापेक्षित ग्रानुभ	व रखने वाले उन	
समुदायों के ग्रर्भ्याथयों के पय	प्त संख्या में उप-	A state of the second s
लव्ध होने की सम्भावना नहीं है।		a line of all the second as a first and
वांछनीयःकम से कम चार ग्रन्	संधान प्रकाशन जो	1000 3865 38655
इंडैक्स मैडीक्स/राष्ट्रीय जर्नलों	में तथा एक ग्रन-	an art o or a subject of the mean of the second and
संधान प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय ज		the second dealer and the second dealers and
णिकाबद्ध हो ।	n and a construction of the second	na na anna anns an sanns anns ann an san an sanair an sanair an sanair an anns an anns anns anns anns an san a T
	a de la cara de la factación de las comestas d	
na kan ben ben ben sen ang man ang man na mang ta manang tang manang tang man ang man a	aan ana kan kan ana kan kan ana ana ana	
भर्ती को पद्धति / भर्ती सीधे होगी	प्रक्रियि/प्रतिनियुक्ति/ग्रामेलन	लन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रणियां जिनसे प्रोन्नति/
या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ पार्मे खन तारा जणा विभिन्न पार	9 /	
प्रामें झन द्वारा तथा विभिन्न पढ- तयों द्वारा भरे जाने वाले पदों	n han yan katala sa k	Construction Construction Construction Construction
IN SILI TE DIT AIR YGI		
की प्रतिशतता ।		
की प्रतिशतता । 1 1	1 2 प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ग्रल्पकालिक	A CONTENT TO THE ACT
की प्रतिशतता । 11 ग्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (इसमें अल्प- कालिक संविदा सम्मिलित है) जिसके न हो सकने प'र सीधी भर्ती	12 प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ग्रल्पकालिक I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सर ग्रनुसंधान संस्थाओं के ऐसे	संविदा सम्मिलित है) कारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/
की प्रतिशतता । 1 1 प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (इसमें ग्रल्प- कालिक संविदा सम्मिलित है) जिसके न हो सकने पर्र सीधी भर्ती	12 प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ग्रल्पकालिक I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सर ग्रनुसंधान संस्थाओं के ऐसे (क) (i) जो नियमित या	संविदा सम्मिलित है) कारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ ग्रधिकारी : न्नाधार पर सदृण पद धारण किए हुए हैं, 00 रु ^{:-} के वेतनमान या समतुल्य में के पदो पर दो वर्ष
की प्रतिशतता ।	12 प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ग्रल्पकालिक I केन्द्रीय सरकार/राज्य सर ग्रनुसंधान संस्थाओं के ऐसे (क) (i) जो नियमित या (ii) जो 164002000 नियमित सेवा कर	संविदा सम्मिलित है) कारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ ग्रधिकारी : ग्राधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, 00 रु. के वेतनमान या समतुल्य में के पदों पर दी वर्ष बुके हैं; और : ग्रधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
की प्रतिशतता । 1 1 प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (इसमें ग्रल्प- कालिक संविदा सम्मिलित है) जिसके न हो सकने परे सीधी भर्ती	12 प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ग्रल्पकालिक I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सर ग्रनुसंधान संस्थाओं के ऐसे (क) (i) जो नियमित या (ii) जो 16400200 नियमित सेवा कर (ख) जो स्तंभ (8) के विहित शैक्षिक और ग्रन्य II. उपाचार्य (शरीर किया जो उस श्रेणी में दो वर्ष के साथ विचार किया	संविदा सम्मिलित है) कारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ ग्रधिकारी : ग्राधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, 00 इ. के वेतनमान या समतुल्य में के पदो पर दो वर्ष बुके हैं; और : ग्रधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रहताएं रखते हों। विज्ञान) की श्रेणी में का ऐसा विभागीय ग्रधिकारी नियमित सेवा कर चुका है पर भी बाह्य व्यक्तियों
की प्रतिशतता । 11 ग्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (इसमें अल्प- कालिक संविदा सम्मिलित है) जिसके न हो सकने प'र सीधी भर्ती	12 प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ग्रल्पकालिक 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सर ग्रनुसंधान संस्थाओं के ऐसे (क) (i) जो नियमित या (ii) जो 16400200 नियमित सेवा कर (ख) जो स्तंभ (8) के विहित शैक्षिक और ग्रन्य II. उपाचार्य (शरीर क्रिया जो उस श्रेणी में दो वर्ष के साथ विचार किया चयन हो जाता है तो बह पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभा नियुक्ति पर नियुक्ति के	संविदा सम्मिलित है) कारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ ग्रधिकारी : ग्राधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, 00 रु. के वेतनमान या समतुल्य में के पदो पर दो वर्ष बुके हैं; और ग्रधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रर्हताएं रखते हों। विज्ञान) की श्रेणी में का ऐसा विभागीय ग्रधिकारी नियमित सेवा कर चुका है पर भी बाह्य व्यक्तियों जाएगा। यदि उसका उक्त पद पर नियुक्ति के लिए

यदि विभागीय प्रो क् ति समिति है तो उर	तकी संरचना	भर्ती करने में किन प ग्रायोग से पराम्र्श किय	ारिप्रस्थितियों में संघ लोक सेव ा जाएगा		
- 13	nang lang lang pang lang pang lang lang lang lang lang lang lang l	14			
 समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (करने के लिए) :	पुष्टि पर विचार	प्रत्येक् त्रुव्नसङ पुर च्रंघ्न लोक सेवा भायो <i>ग</i> से परामध प्रावश्यक है।			
 गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 					
 भृष्ट्रसायम, प्राप्तुविज्ञान शिक्षा और चंडीगढ प्रशासन 	्रत्रनुसंधान स'दस्य				
 प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान और अस्पताल, चंडीगढ़ 	महाविद्यालय सदस्य				
	Presid way have been label and here have have here here here into here and here and here and	nen hann hann han han han han han han han	1 919 Statistics		
	2	3	4		
*:	* (2002) स् कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन र या जा सकता है ।	प्ताधारण केन्द्रीग्र सेवा समूह 'क', राजपत्नित, अननुसचिवीय	16350-450-18600 रु. जम प्रैक्टिसबंदी भत्ता केवल ग्राय विज्ञान स्नातकों के लिए।		
		6	7		
5	२० वर्ष से ग्रानधिक	6	7 जी हां		
5 ब्रोज़्बला के माधाउ पर जबत	टिप्पुणः :				

 (ग) (i) भारतीय मायुविवात गरिवद् प्रधितियत गडिक प्रदेश (i) भारतीय मायुविवात गरिवद् प्रधितियत भर्युरुषो में समितित कोई प्रधारित विवय- भर्युरुषो में समितित कोई प्रधारित विवय- विवार वा समुदुष्य खुंता करे तह किन्नो राज्य विकितक रॉजस्टर या भारतीय विकितक रॉजस्टर या भारतीय विकिती माय्यताप्राप्त विक्ववियात्वय/संस्था से (परं रिवा विज्ञान) (यर एन तो (परं रिवा विज्ञान) (यर एन तो (परं रिवा विज्ञान) के साथ एम को थी एन या समतुत्व ग (ब) (i) किसी माय्यताप्राप्त विक्ववियात्वय/संस्था से पो एपतं दी। (विकितीय करोर विवय विवालय/ त्या समतुत्व (ii) किसी माय्यताप्राप्त विक्ववियात्वय/संस्था से पो एपतं दी. (विकित्तीय करोर विवय विवालय/ त्या समतुत्व (ii) किसी माय्यताप्राप्त विक्ववियात्वय/संस्था से पो एपतं दी. (विकित्तीय करोर विवय विवालय/ त्या समतुत्व i) (ii) किसी माय्यताप्राप्त विक्ववियात्वय/संस्था से पो एपतं दी. (विकित्तीय करोर विवय विवालय/ त्या समतुत्व (ii) किसी माय्यताप्राप्त विक्ववियात्वय/संस्था से पो एपतं दी. (विकित्तीय करोर विवय विवालय/ त्या समतुत्व i) (ii) किसी माय्यताप्राप्त विकित्तीय महावियात्वय/ त्या समतुत्व । (ii) किसी माय्यताप्राप्त विकित्तीय महावियात्वय/ त्या समतुत्व । (iii) कि साध्य कं का कि विकाक कर्थ अत्यात्वय किया त्यात्वम, अंदव्य कर्या के विक्वा क्या प्रमुत्य प्राच्य कं का कि विक कर्य अत्य ही काके विवय क्या मे क्या के के विक्वा प्राय क्या के विक्वा के वया मिया मे क्या के के विद्य प्रमु हिं करके तिय भार्यवा की वा साम्या के विक्वेकानुसार प्रमुत्य कर्य की वा आयोग के किकेकत्या प्र क्यो को देवा में त्या मायुर्विक जाने क्या के के क्या क्या के तिवर माये का का माय साकतो हे त्य व्य कर्य के कि त्या म्या परं था की के वा सालतो हे क्य व्य कर्य के क्रिये म्या परं था के ते वा साम्याक के के तिय भार्या माया माया प्रमुतिक वा- वाक्ती हे ज्य व्य कर्य कि क्या माया प्रमुत्य के वा साम्याक्य के कर्य विक्वा मे त्या क्या के या क्या क्या क्या के क्या के क्या कर्या के वेव क्या मे क्या के क्या के क्या क्या के विक्या मे व्या क्या माया क्या क		8	9		10		-
 (गं) (1) भारतीय यायुविवात गरिषद व्यथियिय यौंकिक ग्रहेता: हां निए एक वर्षे । 1956 (1950 का 102) की निर्दाए क्व बियालय या समयुत्य प्रहेता और वह किती राज्य चिकिसक रॉकटर में राज्युलेहक हो । (ii) किंनी माज्यताप्राप्त विक्वविवालय/संग्धा से एम ठी (परोर किंगा विव्रान)/एम एस चो (परोर किंगा विव्रान) /एम एस चो एम रेस किंसक रॉकटर में राज्युलेहक हो । (ii) किंनी माज्यताप्राप्त विक्वविवालय/संग्धा से एम रेस किंसक राज्य राज्य किं वाव्य प्रा को थी एस या या समनुद्य या (ग) (1) किंनी माज्यताप्राप्त विक्वविवालय/संग्धा से एम एस पी (चिकिसीय करोर किया विज्ञान) या समनुदय या (ग) (1) किंनी मायत्याप्राप्त विक्वविवालय/संग्धा से पेएस एस पी (चिकिसीय करोर किया विज्ञान) या समनुदय (ग) (1) किंनी मायत्याप्राप्त विक्वविवालय/संग्धा सि गो एच.डी. (चिकिसीय करोर किया विज्ञान) या समनुदय) किंती मायत्याप्राप्त विक्वविवालय/ संगा किंती मायत्याप्राप्त विक्वविवालय/ संगा किंती मायत्याप्राप्त विक्वविवालय/ संगा किंती मायत्याप्राप्त विक्वविवालय/ संगा किंती मायत्याप्राप्त विक्वविवालय/ वा सानुद्य) या समनुत्य) किंती मायत्याप्राप्त विक्वविकालय/ चा सायत्र कार्य के विक्ववान्य या समनुत्य । किंती मायत्याप्राप्त विक्वविकालय/ चा सानुत्य । किंती मायत्याप्राप्त विक्ववित्राप्ता विक्वय प्राप्ताप्तर-प्राप्ता किं का विराय का व्रावाय प्राप्ताप्त-प्राप्ता के किंस प्रायां के विक्वया का प्रा व्रायुव्य प्रायाल्ड/ पर्याया के किंक निंग का वात्य का व्रायुव्य) टिप्पण : 1. धहेताए, ध्रन्या स्वर्डाक कार्या मा क्वायित किंग- नात में वांव वर्ग का विराय का व्रावायों के व्यायित विक्वय- नात में के क्वन्यात्य किंव वात्या या व्यायुविंय जन- नात किंक के क्यायित किंव प्राय्त्य किंव वात्या मा क्यायां का काल्या के क्याय का व्याय के विंव कार्यो में व्यायाया के केकिक क्वय प्राय हैकि उनके लिए ध्रारधित प्राया ने किंक के क्या विंव वार्य मा के व्याय का के वा का सम् यात्य हे क्व वय के किंती प्रथम पर रांव को के के सा स्या यांक के क्याव्य के प्याप्त संच्या में उपनब्य होने की सम्याप्त के व्याय्य किंव यांव या व्याय्य होन के सत्त के क्या क्यांती के प्यां प्रवाय या हो वो के या सम्याप्त को के क्याव्य के व्यात संच्या में उपनब्या हो के का सा स्	प्रावश्यक :		ग्राय : नहीं		सोधे भर्ती किए जान	ने वाले व्यक्तियों वे	
राज्य चिकिसक रजिस्टर या भारतीय चिकिसक रजिस्टर में रजिस्ट्रीइस हो । (ii) तिमी मायवताप्राप्त विव्वविद्यालय/संचा गे (शररेरिविय विज्ञान) एम एस तो शरीर विया विज्ञान) के साथ एम वो वी एस या समुद्रव्य या (ब) (i) किसी मायवताप्राप्त विक्वविद्यालय/संचा ने एम एस सी (चिकिसीय करोर किया विज्ञान) या समनुत्य (ii) किसी मायवताप्राप्त विक्वविद्यालय/संचा ने गो एप र.से. (चिकिसीय गरीर किया विज्ञान) या समनुत्य (iii) किसी मायवताप्राप्त विक्वविद्यालय/संचा ने गो एप र.से. (चिकिसीय गरीर किया विज्ञान) या समनुत्य III किसी मायवता प्राप्त विक्विसीय महाविद्यालय/ किराण्य संच्या में सहायक प्राच्या/ कियाण संच्या में सहायक प्राच्या/ विद्याप्य संच्या में सहायक प्राच्या/ किसी मायवता प्राप्त विक्विसीय महाविद्यालय/ किसाय संच्या में सहायक प्राच्या/ किसाय का संच्या में सहायक प्राच्या/ किसाय संच्या में सहायक प्राच्या के विद्यान ने संच्या विद्याण : 1. अहंताएं, अयबा स्अस्ति के प्रथ्यात् संचे वा के संचा ने सहेति ई तव चयन्त्र सिंच को विज्ञा ने प्रस्था की दशा में संच नोक सेवा प्रायोग के विद्य के विविय ने प्राया सिंच को जा सन्दत्यों के क्रायांयों के विद्य के स्वाया में उपलब्ध होने को सन्धावना मही है । बाट्यनी : बस्त ने कम चार अनुगंवान प्रकायन जो इंडैक्स मेडीनस राष्ट्रीय जर्तनों में अनुक्याणिकाव्य ही ।	1956 (1956 का	ा 102) को किसी एक	शैक्षिक म्रर्हता : हां				
 एस डी (वरीर वियाः विवान))एम एस सो (वरीर वियाः विवान) के साथ एम डो डी एस या सासुद्ध्याया या सामुद्ध्याया या या या (ब) (i) किसी मारवताप्राप्त विख्वविद्यातव्य/संख्या से एम एस सी (विकित्सीय करीर विया विवान) या सामुद्ध्या सामुद्ध्या कि पी. प्रिके करीय करीर विया विवान) या सामुद्ध्या (ii) किसी मारवताप्राप्त विख्वविद्यातव्य/संख्या से पी. पिकित्सीय करीर विया विवान) या सामुद्ध्या (iii) किसी मारवताप्राप्त विख्वविद्यातव्य/संख्या से पी. पिकित्सीय करीर विया विवान) या सामुद्ध्या किसी मारवता प्राप्त चिकत्सीय मही विद्यालय/ विवान) या सामुद्ध्या । किसी मारवता प्राप्त चिकत्सीय मही विद्यालय/ विवान) या सामुद्ध्या । किसी मारवता प्राप्त चिकत्सीय मही विद्यालय/ विवान, या सामुद्ध्या । किसी मारवता प्राप्त चिकत्सीय मही विद्यालय/ विवान, या सामुद्ध्या । किसी मारवता प्राप्त चिकत्सीय मही विद्यालय/ विवान, या सामुद्ध्या के एक एम साच के राष्ट्र्या के राष्ट्र्या के राष्ट्र्या के राष्ट्रा के राष्ट्र मं सहित करने के प्रभाव संचित्र विवान, या सामुद्ध्या । किसी मारवता प्राप्त चिकत्सीय महा विद्यालय / विविक्त करने के पृथ्वात्र संचित्र विविक्तन्त्र मा सामुद्ध्या प्राप्त के प्रमान संचित्र विविक्तन्त्र के प्रमान संचित्र विविक्तन्त कर के के प्रमान संचित्र विविक्तन्त कर अन्त के प्रमान संचित्र विविक्तन कर का के संचा सामुद्ध्या कि सीया आत्म के विविक्तन्तार अनुपूर्धित जानियों या अनुपूर्धित जान- तातियों के प्रथा कि से वा आयोग के विविक्तन्तार अनुपूर्धित जातियों या अनुपूर्धित जान- तातियों के प्रथा में के विवा आयोग के विविक्तन्तार अनुपूर्धित जातियों या आनुपूर्धित जान- ताति हो का यहा में तब विपित्त के वा साकती हे वा स्वत्त के त्रव यस के किसी प्रमय पर संघ लोके ते वा आयोग के के वा सतते हे वा वया के प्रमय पर संघ लोके ते वा सतती हे वा वया के त्रवा मे देवल वा ते उन समु- ताता संघ्या में उपलब्ध हीने का साच्याता न तही हे । बाक्टनिय संद्य संख्या के प्रयात संघ्या में उपलब्ध हीने की साच्याता तही के क्रम चरा अनुसंघ रखन व्या होने के साच्या त्रा ही हे का सम्यात्य त्रा में उपलब्ध हीने की सम्यात्य संघ्या में उपलब्ध हीने की सम्यात्य तर्य हि ही या संचित्य संचित्य संघ य	राज्य चिकित्सक	रजिस्टर या भारतीय					
 सा (ब) (i) किसी माखताप्रात विश्वविद्यालय/संस्था से प्रा सानुज्य (ii) किसी मायताप्रात विश्वविद्यालय/संस्था से प्रा सानुज्य (iii) किसी मायताप्रात विश्वविद्यालय/संस्था से गांए क.डी. (विकिसीय परीर त्रिया विज्ञान) या सानुज्य । II किसी मायता प्राप्त विकिसीय परीर त्रिया विज्ञान) या सानुज्य । II किसी मायता प्राप्त विकिसीय परीर त्रिया विज्ञान) या सानुज्य । II किसी मायता प्राप्त विकिसीय परीर त्रिया विज्ञान) या सानुज्य । II किसी मायता प्राप्त विकिसीय परीर त्रिया विज्ञान) या सानुज्य । II किसी मायता प्राप्त विकिसीय परीर त्रिया विज्ञान) या सानुज्य के रूप में सहाविधालय/ विषय के के प्रा विज्ञान या या प्रायुव्य के विद्या प्रायाप्त्र/व्येष्ठ प्राधापक/प्राधय(क के के प्रा विज्ञान) वा सांग/व्येष्ठ प्राधापक/प्राधय(क के के प्रा विज्ञान) वा मत्रती है । रियण : श्रद्वार्ग, अध्यवा सुर्वहित प्रार्थावयों की देशा में संघ लोक के वा सानती है । र प्रवृत्व व्यवते किसी प्रायाप्त में प्रायुद्धित की प्रा प्रा कि के ने वा प्रायाप्त के विवक नाया प्राप्तु पित का जा सानती है । र प्रवृत्व व्यवते किसी प्राया पर परिक्रयों के वा भा में संघ लोक के वा सान्तती है । बाक्त से ह का व्यवत के विविध प्रायाप्त रिक्रयों के वा प्राया स्वानु का का	एम डी (गरीर क्रिय (गरीर क्रिया विज्ञान	ता विज्ञान)/एम एस सी					
 एम एस सी (चिकित्सीय गरीर किया विज्ञान) या समतुल्य (ii) किसी माग्यताप्राप्त विषव्विद्यालय/संस्था से गे.एम.डी. (चिकित्सीय गरीर त्रिया विज्ञान) डो.एस.सी. (चिकित्सीय गरीर त्रिया विज्ञान) या समतुल्य । II किसी माग्यता प्राप्त चिकित्सीय महाविद्यालय/ णिषण संस्था में सहायक धाचार/उषेष्ठ्य प्राध्यापक/पाध्यापक के रूप में स्तातकीतर यहँता अण्ठित रुप्त के पण्डात् संधित विषेप- ज्ञता में पांच वर्ष का शिक्षण का अनुभव । टिप्पण : 1. अर्हताएं, अग्यवा स्अहित अर्ध्यार्थयों की देशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 2. अनुभव संबंधी छहँता (श्रहँताएं) संघ लोक सेवा आयीग के विवेकानुसार श्रन्स्यांक वो ग मा में तथा आयीग के विवेकानुसार श्रन्स्यांक्यों को दशा में तथा आयीग के विवेकानुसार श्रन्स्यांक्य तो दाणे मं तव शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा यायोगको यह राय है कि उनके लिए श्रारधित रिक्रियों को सरते के तिए श्रमेधित स्रगुमव रखो तो उ जन समु- वायों के स्राय्यांक्य से वराय संथा में उ जलस्थ होने की सम्भावना नहीं है । बांछनीय : इम से कृम चार अनुसंघान प्रकाणन जो इडँक्स मेडीनस राष्ट्रीय जर्तनो में अनुकमणिकाबढ हो । 		या					
 पी.एच.डी. (चिकित्सीय गरीर किया विज्ञान)/ डो.एत.सी. (चिकित्सीय गरीर विया विज्ञान) या समनुत्य । विकसी माग्यता प्राप्त चिकित्सीय महाविद्यालय/ शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में स्नातकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पण्चात् संबधित विशेप- ज्ञता में पांच वर्ष का शिक्षण का प्रानुभव । टिप्पण : श्रद्दताएं, प्रन्थया सुर्जाहित प्राध्यापयां की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिक्षिल की जा सकती है । अनुभव संबंधी अर्हता (प्रहंताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसुवित जातियों या प्रमुत्तीत्त जग- जातियों के प्रध्यायों की दशा में तथा श्रायोग के विवेकानुसार अनुसुवित जातियों या प्रमुत्तीत जा- जातितों के प्रध्यायों की दशा में तथा शिष्ति की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोगको यहराय है कि उनके लिए आरथित रित्तियों को सरते के लिए प्रयेक्षित अनुमव रखने वाले उन समु- दायों के प्रश्वायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । बाछनीय : इम से क़ म चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स मेडीक्स राष्ट्रीय जर्तनों में अनुकमणिकाबद्ध हो । 	एम एस सी (चिकित्स						
षिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में स्नातकोत्तर अर्हता आंजत करने के पश्चात् संबंधित विशेप- जता में पांच वर्ष का शिक्षण का अनुभव । टिप्पण : 1. अर्हताएं, अन्यया सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 2. अनुभव संबंधी अर्हता (श्रह्ताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन- जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग को यह राय है कि उनके लिए आरधित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समु- दायों के अभ्यर्थियों के वर्थान्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । वांछनीय : कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स भेडीक्स राष्ट्रीय जर्नलों में अनुक्मणिकाबढ हो ।	पी.एच.डी. (चिकित्स डी.एस.सी. (चिकित्स	गिय गरीर किया विज्ञान)					
टिप्पण : 1. ग्रहुंताएं, अग्यथा सुऑहित अर्थ्यांथयों की दणा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार णिथिल की जा सकती है । 2. ग्रनुभव संबंधी ग्रहुंता (श्रहुंताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन- जातियों के प्रभ्यांथयों की दणा में तब णिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग को यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आयेक्षित अनुभव रखने वाले उन समु- दायों के प्रभ्यांथयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । बाछनीय : कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स मेडीक्स राष्ट्रीय जर्नलों में अनुकमणिकाबढ हो ।	शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/प्राध्यापक अर्हता अर्जित करने	सहायक ग्राचार्य/ज्येष्ठ के रूप में स्नातकोत्तर के पश्चात् संबंधित विशेष	5				
 ग्रह्ताएं, अभ्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । ग्रनुभव संबंधी ग्रहता (ग्रहताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसुचित जातियों या अनुसुचित जन- जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग को यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समु- दायों के अभ्यॉथयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । वांछनीय : कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स मेडीक्स राष्ट्रीय जर्नलों में अनुकमणिकाबद्ध हो । 							
लोक सेवा ग्रायोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 2. ग्रनुभव संबंधी ग्रहंता (ग्रहंताएं) संघ लोक सेवा ग्रायोग के विवेकानुसार श्रनुसूचित जातियों या ग्रनुसूचित जन- जातियों के प्रभ्यांथयों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा ग्रायोग को यह राय है कि उनके लिए ग्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ग्रयेक्षित ग्रनुभव रखने वाले उन समु- दायों के ग्रभ्यांथयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । वांछनीय : कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स मेडीक्स राष्ट्रीय जनैलों में ग्रनुकमणिकाबद्ध हो ।				7		* * *	
 अनुभव संबंधी श्रह्ता (श्रर्हताएं) संघ लोक सेवा श्रायोग के विवेकानुसार अनुसुचित जातियों या श्रनुसुचित जन- जातियों के श्रभ्यांथयों की दणा में तब शिथिल की जा सकती हैं जव चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा ग्रायोग को यह राय है कि उनके लिए श्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए श्रपेक्षित श्रनुभव रखने वाले उन समु- दायों के श्रभ्यांथयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । वांछनीय : कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स मेडीक्स राष्ट्रीय जर्नलों में श्रनुकमणिकावद्ध हो । 	 ग्रह्ताएं, अन्यया सुर्आहत अध लोक सेवा आयोग के विवेकान 	भ्यर्थियों की दशा में संघ सार शिथिल की जा सक	ती है ।				
के विवेकानुसार अनुसुचित जातियों या अनुसुचित जन- जातियों के अर्भ्यांथयों की दणा में तब णिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग को यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समु- दायों के अभ्यॉथयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । वांछनीय : कम से कम चार अनुसंधान प्रकाणन जो इंडैक्स मेडीक्स राष्ट्रीय जर्नलों में अनुकमणिकाबद्ध हो ।							
जातियों के ग्रभ्यांथयों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा ग्रायोग को यह राय है कि उनके लिए ग्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ग्रपेक्षित ग्रनुभव रखने वाले उन समु- दायों के ग्रभ्यांथयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । वांछनीय : कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स मेडीयस राष्ट्रीय जर्नलों में ग्रनुकमणिकाबद्ध हो ।	2. अनुभव संवंधी अर्हता (अर्हता	एं) संघ लोक सेवा आयोग	r	The en			
सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा ग्रायोग को यह राय है कि उनके लिए ग्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ग्रपेक्षित ग्रनुभव रखने वाले उन समु- दायों के ग्रभ्यॉथयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । वांछनीय : कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स मेडीक्स राष्ट्रीय जर्नलों में ग्रनुकमणिकावद्ध हो ।							
ग्रायोग को यह राय है कि उनके लिए ग्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ग्रपेक्षित ग्रनुभव रखने वाले उन समु- दायों के ग्रभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । वांछनीय : कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स मेडीक्स राष्ट्रीय जर्नलों में ग्रनुकमणिकावद्ध हो ।							
दायों के ग्रभ्यांथियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । वांछनीय : कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स मेडीक्स राष्ट्रीय जर्नलों में ग्रनुकमणिकावद्ध हो ।	ग्रायोग को यह राय है कि उन वे	केलिए आरक्षित रिक्तियं	Ť				
सम्भावना नहीं है । वांछनीय : कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स मेडीक्स राष्ट्रीय जर्नलों में ग्रनुकमणिकाबद्ध हो ।	को भरने के लिए अपेक्षित अन् टागों के अभ्याथियों के पर्याप्त	नुभव रखने वाले उन समु- संख्या में उपलब्ध होने की	r				
कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स मेडीक्स राष्ट्रीय जर्नलों में ग्रनुकमणिकाबद्ध हो ।					e e a angerna serar e i		
राष्ट्रीय जर्नलों में ग्रनुकमणिकाबद्ध हो ।	वांछनीयः						
						-	
3602 GI/2002—5	3602 GI/2002-5						ı

2664	THE GAZETTE	OF INDIA	: DEC.	14,	2002/	AGRAHAYANA	23,	1924	[PART II—SEC. 3(1)]

11	12	· · ·				
ान्नति, जिसके न हो सकने पर प्रति- ायुक्ति द्वारा (ग्रल्पकालिक संविदा म्मिलित है) जिसके न हो सकने पर ोधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति/प्रतिनियक्ति (ग्रल्पक	गरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासां संगठनां/अनुसंधान				
	(क) (i) जो नियमित आधा	र पर सदृश पद धारण किए हुए हैं				
	যা					
	 (ii) जो 14300-18300 रु. के वेतनमान या समतुल्य में के नियमित सेवा कर चुके हैं ; ग्रौर 					
	(ख) जो स्तंभ (8) के अध ग्रौर ग्रन्य अर्हताएं रखते	ीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिव हों ।				
	निगकि के लिए विचार	य म्रधिकारी, जो प्रोन्नति को सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर किए जाने के पाल नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति लिए विचार किए जाने के पाल नहीं होंगे ।				
	[प्रतिनियुक्ति/संविदा को अव विभाग में इस नियुक्ति से संविदा को अवधि है, स	धि, जिसके ग्रंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी ग्रन्य संगठन 1 ठोक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति ताधारणतया पांच वर्ष से ग्रधिक नहों होगी । प्रतिनियुक्ति प ग्रल्पकालिक संविदा भी है) के लिए ग्रधिकतम ग्रायु सीमा, ग्रावे तेम तारीख को 56 वर्ष से ग्रधिक नहीं होगी ।]				
	13	14				
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति लिए) :	(पुष्टि पर विचार करने के	सीधी भर्ती करते समय और किसी ग्रधिकारी को प्रतिनिर्यु (ग्रल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) पर नियुक्ति करते सम् संघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श ग्रावश्य ह है ।				
1. ग्रध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा ह		संघ लाक संघा आपाग रा रार्या या रार्या र				
2. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन	सदस्य					
 सचिव, ग्रायुर्विज्ञान शिक्षा ग्रौर चंडीगढ़ प्रशासन 	ग्रनुसंधान, ––सदस्य					
 प्रधानाचार्य सरकारी ग्रायुविज्ञ 	ान महाविद्यालय					

1	2	3 and mail stand	4
3. ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर क्रिया विज्ञान)	4	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजयत्नित, ग्रननुसचिवीय	14300-400-1-5900-450- 18150 रु. जमा प्रैक्टिस बंदी भत्ता केत्रत ग्रायुर्विज्ञा स्नातकों के लिए

11) 87-1

 $\langle \Theta^{I} \rangle \langle \phi \rangle \rightarrow 0$

F 2	TT	1	• \ 7
भाग	11ख	3 (1)]

भारत का राजपन्न : दिसम्बर 14,2002/ग्रग्नहायण 23,1924	2665
6 7	

नहीं

लागू नहीं होता

5 -

50 वर्ष से ग्रनधिक

- (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या ग्रादेशों के ग्रन्सार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)
- टिप्पण : ग्रायु-सीमा ग्रवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में ग्रभ्यर्थियों से ग्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, ग्ररुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, विपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के ग्रर्भ्याथयों के लिए बिहित की गई है।)
- टिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्यापकों, उपाचार्यों और ग्राचार्मों की श्रेणियों में ग्रचिकित्सीय ग्रहंताओं वाले ग्रध्यापकों की संख्या इन श्रेणियों में पदों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से ग्रधिक नहीं होगी।

8	9	10
प्रावश्यक : 1 क (i) भारतीय ग्रायुर्विज्ञान परिषद् ग्रधिनियम, 1956 (1956 का 102) की किसी एक ग्रनुसूची में सम्मिलित कोई प्राधारिक विश्व- विद्यालय या समतुल्य ग्रईता और वह किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भारतीय चिकि- त्सक रजिस्टर में रजिट्रीकृत हो	लागू नहीं होता	एक वर्ष
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविघालय/संस्था से एम डी (शरीर क्रिया विज्ञान)/ एम एस सी (शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ एम बी बी एस या समतुल्य		
या		
ब (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम एस सी (चिकित्सीय शरीर किया विज्ञान) या समतुल्य		
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी. एच.डी. (चिकित्सीय शरीर किया विज्ञान)/डी. एस.सी. (चिकित्सीय शरीर किया विज्ञान) या समतुल्य ।		

2666 THE GAZETTE OF INDIA : DEC. 14, 2002/AGRAHAYANA 23, 1924 [Part II-Sec. 3(i)]

	the state of the s
2 किसी मान्यता प्राप्त ग्रायुविज्ञान महाविद्यालय/ शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/ज्येष्ठ रेजीडेंट/निदर्शक/ग्रध्यापक के रूप में स्नात- कोत्तर झर्हता श्रजित करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्ष का शिक्षण का छनुभव।	
टप्पण । : ग्रर्हताएं, ग्रन्यथा सुग्रहित ग्रभ्यथियों की दणा में संघ लोक सेवा ग्रायोग के विवेका- नुसार शिथिल की जा सकती है।	
टप्पण 2 ः ग्रनुभव संबंधी ग्रर्हता (ग्रर्हताएं) संघ लोक सेवा ग्रायोग के विवेकानुसार ग्रनुसूचित जातियों या ग्रनुसूचित जनजातियों के ग्रभ्यथियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती	
हैं जब चयन के किसी प्रऋम पर संघ लोक सेवा ग्रायोग की यह राय है कि उनके लिए ग्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ग्रपेक्षित ग्रनुभव रखने वाले उन समुदायों के ग्रभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	
11	12
	लागू नहीं होता
	लागू नहीं होता
तीधी भर्ती द्वारा 1 3 समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने	an - Line - Frank - The - Line
तीधी भर्ती द्वारा 1 3 समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) :	14
मीधी भर्ती द्वारा 1 3 समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) :	14
सीधी भर्ती ढ़ारा 13 समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) : 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन	14

[सं. वो.−−24011/11/2002-एम ई डैस्क-II] एस. के. मिश्रा, ग्रवर सचिव

New Delhi, the 28th November, 2002

G.S.R. 508. -In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor (Physiology), Reader (Physiology) and Senior Lecturer (Physiology) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely;

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Physiology), Reader (Physiology) and Senior Lecturer (Physiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification. No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

	SCHED	UĻĘ	
Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
(1)	(2) (3)		(4)
1. Professor (Physiology)	01* (2002)General Central Service*Subject to variationGroup 'A',dependent on work-Gazetted,load.Non-Ministerial.		e, Rs. 18,600–500–22,100/- Plus Non-practicing Allowance only for Medical Graduates.
Whether Selection by merit or Selection-cum-Seniority or Non-Selection post	Age limit for direct recr		Whether benefit of added year's of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not exceeding fifty years' (Relaxable for Govern- ment servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).		Yes.

(6)			
Note ; The crucial date for de limit shall be the closing dat cations from candidates in I closing date prescribd for th Meghalaya, Arunachal Prad Manipur, Nagaland, Tripura division of Jammu and Kas Spiti district and Pangi Sub- district of Himachal Pradesl Nicobar Islands or Lakshad	ndia (and not the ose in Assam, esh, Mizoram, a, Sikkim, Ladakh hmir State, Lahaul and Division of Chamba h, Andaman and Iweep).		
Note 1 ; The strength of teach Senior Lecturers, Readers a Non-Medical qualifications of the total number of post	shall not exceed 30%		
Note 2 ; In the event the post nated as Head of Departme recognised basic University fication or equivalent qualif inted to the post.	t of Professor is desig- ont, only teachers with Medical degree quali-		
	Whether age and educational	Period of probation	
Educational and other qualifications required for direct recruits	qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	if any	
(8)	(9)	(10)	
 Essential: I. A. (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register. 	Age ; No. Educational Qualifications ; Yes.	One year for direct recruits	
 A. (ii) M.D. (Physiology)/MBBS with M.Sc. (Physiology) from a recognised University/Institution or equivalent. 			
OR			
 B. (i) M.Sc. (Medical Physiology) from a recognised University or equivalent. 			
B. (ii) Ph.D. (Medical Physiology)/D.Sc. (Medical Physiology) from a recognised University/ Institution or equivalent.			
 Ten year's experience in the profession after acquiring Post-graduate qualification, out of which four year's should be as Reader/Associate Professor in a Recog- nized Medical College/Teaching Institution. 			
 nized Medical Conego, and the discretion of Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candi- dates otherwise well qualified. 			

COLORISON STREET

[भाग II--खंड 3 (i)]

भारत का राजपत्न : दिसम्बर 14, 2002/ग्रग्रहायण 23, 1924

2669

(8)

Note 2 ! The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable ;

Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publication in International Journals.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)

Promotion/deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment. (12)

- Promotion/deputation (including short-term contract) : I. Offleers of the Central/State Governments/Union Territories Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :
 - (a) (i) holding analogous posts on regular basis.

OR

- (ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400-20000 or equivalent; and
- (b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).
- II. The Departmental Officer in the grade of Reader (Physiology) with two year's regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders. In case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.
- The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- (Period of Deputation/Contract including period of Deputation/ Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of applications).

	Departmental Promot	ion Committee exists, what is its	Circumstances Service Commi making recruit	nces in which Union Public mmission to be consulted, in cruitment		
ing were		(13)	Constant of the start of the	(14)		
	nfirmation) : Home Secretary, Ch Secretary, Medical E Chandlgarh Adminis	Education and Research —Me stration.		ith Union Public Service is necessary on each		
3.	Principal, Governme Hospital, Chandigar					
				and the second second		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
2.	Reader (Physiology)	*01 (2002) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 16,350–450–18,600– 500–20,100 plus Non-practicing Allowance only for Medical Graduates.		
	(5)		(6)	(7)		
Sele	ection by morit.	cations from candidates closing date prescribed f Meghalaya, Arunachali Manipur, Nagaland, Tri division of Jammu and J	r determining the age- date for receipt of appli- in India (and not the or those in Assam, Pradesh, Mizoram, pura, Sikkim, Ladakh Kashmir State, Lahaul	Yes.		
		and Nicobar Islands or. Note 1 : The strength of 1 Senior Lecturers, Reade	achal Pradesh, Andaman Lakshadweep). teachers in the grades of ers and Professors with ions shall not exceed 30%			
			(0)	(10)		
E	included in	(8) iversity or equivalent qualificatio any one of the Schedules to the dical Council Act, 1956 (102 of 15		One year for direc		
	and must k	registered in a State Medical Indian Medical Register;				

à la	(8)			
A. (ii) M.E logy	D. (Physiology)/MBBS with) from a recognized Unive	n M.Sc. (Physio- rsity/Institution		
	quivalent.			
	OR			
B. (1) M.S Uni	Sc. (Medical Physiology) fr versity or equivalent;	om a recognised		
Phy	D. (Medical Physiology)/D siology) from a recognised itution or equivalent.	Sc. (Medical University/		
speciality al	teaching experience in ter acquiring post-graduate Professor/Senior Lecturer	·/Lecturer in a		· · · ·
recognized	Medical College/Teaching	Institution.		A 11
the Union Pu	fications are relaxable at the ablic Service Commission is se well qualified.	ne discretion of n case of candi-		
relaxable at t Commission Scheduled Ca stage of select is of the opin from these ca ence are not	ualification(s) regarding ex he discretion of the Union in the case of candidates b astes or the Scheduled Trib tion, the Union Public Servi nion that sufficient number ommunities possessing the likely to be available to fil	of candidates requisite experi-		
reserved for	them.			
reserved for Desirable :	them.			
Desirable : Minimum four	them. Research Publications ind tional Journals.			
Desirable : Minimum four	them. Research Publications ind			-
Desirable : Minimum four	them. Research Publications ind		(12)	(2)
Desirable : Minimum four Medicus/Na Promotion fai ding short t	them. Research Publications ind tional Journals. (11) ling which by deputation (erm contract) failing both	lexed in Index finclu- Promotion : by Senior Lectur the Grade.	er (Physiology) with two year's regular	
Desirable : Minimum four Medicus/Na	them. Research Publications ind tional Journals. (11) ling which by deputation (erm contract) failing both	Tinclu- by Senior Lectur the Grade.	er (Physiology) with two year's regular	:
Desirable : Minimum four Medicus/Na Promotion fai ding short t	them. Research Publications ind tional Journals. (11) ling which by deputation (erm contract) failing both	(inclu- by Promotion : Senior Lectur the Grade. Promotion/De Officers of C tory Bodies	er (Physiology) with two year's regular putation (including short-term contract) entral/State Governments/Union Territo Autonomous Organizations/Research Ins	: ries/Statu- stitutions :
Desirable : Minimum four Medicus/Na Promotion fai ding short t	them. Research Publications ind tional Journals. (11) ling which by deputation (erm contract) failing both	Tinclu- by Senior Lectur the Grade. Promotion/De Officers of C tory Bodies/	er (Physiology) with two year's regular putation (including short-term contract) entral/State Governments/Union Territo 'Autonomous Organizations/Research Ins ing analogous posts on regular basis; or	: ries/Statu- stitutions :
Desirable : Minimum four Medicus/Na Promotion fai ding short t	them. Research Publications ind tional Journals. (11) ling which by deputation (erm contract) failing both	(inclu- by Senior Lectur the Grade. Promotion/De Officers of C tory Bodies/ (a) (i) hold (ii) with	er (Physiology) with two year's regular eputation (including short-term contract) entral/State Governments/Union Territo Autonomous Organizations/Research Ins ing analogous posts on regular basis; or two year's regular service in posts in th of Rs 14300-18300/- or equivalent; and	: stitutions : ne scale of
Desirable : Minimum four Medicus/Na Promotion fai ding short t	them. Research Publications ind tional Journals. (11) ling which by deputation (erm contract) failing both	finclu- by Senior Lectur the Grade. Promotion/De Officers of C tory Bodies, (a) (i) hold (ii) with pay	er (Physiology) with two year's regular putation (including short-term contract) entral/State Governments/Union Territo (Autonomous Organizations/Research Ins ing analogous posts on regular basis; or two year's regular service in posts in th of Rs. 14300-18300/- or equivalent; and	: stitutions : ne scale of
Desirable : Minimum four Medicus/Na Promotion fai ding short t	them. Research Publications ind tional Journals. (11) ling which by deputation (erm contract) failing both	Tinclu- by Senior Lectur the Grade. Promotion/De Officers of C tory Bodies/ (a) (i) hold (ii) with pay (b) possessir for direc The Departu	rer (Physiology) with two year's regular eputation (including short-term contract) entral/State Governments/Union Territo 'Autonomous Organizations/Research Ins ing analogous posts on regular basis; or two year's regular service in posts in th of Rs. 14300-18300/- or equivalent; and ing the educational and other qualifications t recruits under column (8). mental Officer in the feeder category w-s	: ries/Statu- stitutions ne scale o prescribeo o are in t nsideratio
Desirable : Minimum four Medicus/Na Promotion fai ding short t	them. Research Publications ind tional Journals. (11) ling which by deputation (erm contract) failing both	Tinclu- by Senior Lectur the Grade. Promotion/De Officers of C tory Bodies, (a) (i) hold (ii) with pay of (b) possessir for direc The Departu direct line.	er (Physiology) with two year's regular eputation (including short-term contract) entral/State Governments/Union Territor Autonomous Organizations/Research Ins ing analogous posts on regular basis; or two year's regular service in posts in th of Rs. 14300-18300/- or equivalent; and ug the educational and other qualifications t recruits under column (8).	: stitutions me scale of prescribed o are in t nsideration
Desirable : Minimum four Medicus/Na Promotion fai ding short t	them. Research Publications ind tional Journals. (11) ling which by deputation (erm contract) failing both itment.	Tinclu- by Senior Lectur the Grade. Promotion/De Officers of C tory Bodies, (a) (i) hold (ii) with pay of (b) possessir for direc The Departu direct line.	rer (Physiology) with two year's regular eputation (including short-term contract) entral/State Governments/Union Territo 'Autonomous Organizations/Research Ins ing analogous posts on regular basis; or two year's regular service in posts in th of Rs. 14300-18300/- or equivalent; and ing the educational and other qualifications t recruits under column (8). mental Officer in the feeder category w- of promotion shall not be eligible for co	: stitutions : ne scale of prescribed o are in ti nsideration onists sha
Desirable : Minimum four Medicus/Na Promotion fai ding short t direct recru	them. Research Publications ind tional Journals. (11) ling which by deputation (erm contract) failing both itment.	Tinclu- by Senior Lectur the Grade. Promotion/De Officers of C tory Bodies, (a) (i) hold (ii) with pay of (b) possessir for direc The Departu direct line.	rer (Physiology) with two year's regular eputation (including short-term contract) entral/State Governments/Union Territo 'Autonomous Organizations/Research Ins ing analogous posts on regular basis; or two year's regular service in posts in th of Rs. 14300-18300/- or equivalent; and ing the educational and other qualifications t recruits under column (8). mental Officer in the feeder category w- of promotion shall not be eligible for co	: stitutions me scale of prescribed o are in t nsideration
Desirable : Minimum four Medicus/Na Promotion fai ding short t direct recru	them. Research Publications ind tional Journals. (11) ling which by deputation (erm contract) failing both itment.	Tinclu- by Senior Lectur the Grade. Promotion/De Officers of C tory Bodies, (a) (i) hold (ii) with pay of (b) possessir for direc The Departu direct line.	rer (Physiology) with two year's regular eputation (including short-term contract) entral/State Governments/Union Territo 'Autonomous Organizations/Research Ins ing analogous posts on regular basis; or two year's regular service in posts in th of Rs. 14300-18300/- or equivalent; and ing the educational and other qualifications t recruits under column (8). mental Officer in the feeder category w- of promotion shall not be eligible for co	: stitutions ne scale o prescribed o are in t nsideratio onists sha
Desirable : Minimum four Medicus/Na Promotion fai ding short t direct recru	them. Research Publications ind tional Journals. (11) ling which by deputation (erm contract) failing both itment.	Tinclu- by Senior Lectur the Grade. Promotion/De Officers of C tory Bodies, (a) (i) hold (ii) with pay of (b) possessir for direc The Departu direct line.	rer (Physiology) with two year's regular eputation (including short-term contract) entral/State Governments/Union Territo 'Autonomous Organizations/Research Ins ing analogous posts on regular basis; or two year's regular service in posts in th of Rs. 14300-18300/- or equivalent; and ing the educational and other qualifications t recruits under column (8). mental Officer in the feeder category w- of promotion shall not be eligible for co	: stitutions ne scale o prescribed o are in t nsideratio onists sha

(10)

			(12)	To the
		Contract this app departme exceed fi	Deputation/Contract includin t in another ex-cadre post hele ointment in the same or so ent of the Central Governme ive year's. The maximum age itation (including short-term g fifty six year's as on the co ons).	me other organization/ ent shall ordinarily not limit for appointment contract) shall be not
	and the state of	(12)		(14)
Grou pro 1. 2. 3. 4.	Chairman/Member, Uni- Commission Home Secretary, Chandi Secretary, Medical Educ Chandigarh Administrat Principal, Government M	garh Administration —Me ation and Research, —Me ion	commission is airman direct recruitm officer on depu mber term contract). mber	h Union Public Service necessary while making ent and appointing an tation (including short
	Hospital, Chandigarh			
		(2)	(3)	(4)
3.	(1) Senior Lecturer (Physiology)	02* (2002) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 14,300–400–15,900 450–18,150/- plus Non-practicing Allowance only for Medical Graduates
			(6)	(7)
	(5)			No
No	pt applicable	in accordance with the issued by the Central C	instructions or orders Government).	
	in an	cations from candidates closing date prescribed Meghalaya, Arunachal Manipur, Nagaland, Tr division of Jammu and and Spiti district and F Chamba district of Hir and Nicobar Islands o	g date for receipt of app in India (and not the for those in Assam, Pradesh, Mizoram, ripura, Sikkim, Ladakh I Kashmir State, Lahaul Pangi Sub-Division of nachal Pradesh, Andaman or Lakshadweep).	
	a a cara ang ang ang ang ang ang ang ang ang an		ations shall not exceed 30%	

	(8)	(9)	(10)
Essential:		Not applicable	One year
Indian Medical Co and must be registe Register or Indian	e of the Schedules to the uncil Act, 1956 (102 of 1956) ered in a State Medical Medical Register;		
A. (ii) M.D. (Physiology)/ logy) from a recogn or equivalent.	ised University/Institution		
P (i) MG (MG (L) M	OR		A Contractor
B. (i) M.Sc. (Medical Phy University or equiva	siology) from a recognised	a the strate of the	
B. (ii) Ph.D. (Medical Phy			
Physiology) from a Institution or equiva	recognised University/		
ned speciality after a qualification as Lect	g experience in the concer- coquiring Post-graduate urer/Registrar/Senior .tor/Tutor in a recognised aching Institution.		
Note 1 : Qualifications are relative the Union Public Service Con- dates otherwise well qualified.	xable at the discretion of unission in case of candi-	n Seren (* 1995) Seren (* 1995)	
Note 2 : The qualification(s) reg			
relaxable at the discretion of t			
Commission in the case of car Scheduled Castes or the Sche			
stage of selection, the Union I		and the state of the	
is of the opinion that sufficien		And the second second second	
from these communities po experience are not likely to be			
posts reserved for them.	avanable to mi up the		
	and the second sec		
(11)	(12)	ng délék a si k	
Direct recruitment	Not applicable		
ana	(13)	(14)	
	(10)	Consultation with Uni	

-Member

-Member

[No. V. 24011/11/2002-ME Desk-II] S. K. MISHRA, Under Secy.

3602 GI/2002-7

١

3.

4.

Chandigarh Administration.

and Hospital, Chandigarh.

Hospital, Chandigarh.

Principal, Government Medical College and

Professor and Head of the concerned

Department of Government Medical College

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 323.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्वि महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (भेषज गुण विज्ञान), उपाचार्य (भेषज गुण विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञा (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (भेषज गुण)विज्ञान), उपान (भेषज गुण विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

And to my

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (भेषज गुण विज्ञान), उपाचार्य (भेषज गुण विज्ञान) और ज्ये प्राध्यापक (भेषज गुण) विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें) इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में ब्र संख्यांक 2 में वर्णित पद के सामने,-

(i) स्तंभ 8 के अधीन ''(iii)'' शब्द के स्थान पर ''2'' रखा जाएगा।

3. उक्त नियम में क्रम संख्यांक 3 में वर्णित पद के सामने स्तंभ 8 के अधीन ''ख्(iii)'' अक्षरों के स्थान पर ''II'' अंक रखे जाएंग

[सं. वी. 24011/11/2002-एम ई डेस्क-]]

एस. के. मिश्रा, अवर सचि

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 507 तारीख 27 नवंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 17th September, 2004

G.S.R. 323.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Presider hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professo (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitmen

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professo (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitmen

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), against the post appearing at serial number 2,-

under column 8, the word "(iii)" shall be substituted as "2".

In the said rules against the post appearing at Serial number 3, under column 8, for letters "B(iii)", the figures 3. "II" shall be substituted.

> [No. V. 24011/11/2002-ME Desk-II] S.K. MISHRA, Under Secy.

Foot note: The Principal rules were published vide number G.S.R. 507 dated the 27th November, 2003.

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 324.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान), उपाचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर क्रिया विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान), उपाचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर क्रिया विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

CALL AND STATISTICS OF PURP

PART II--SEC. 3

[भाग II-खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : सितम्बर 25, 2004/आश्विन 3, 1926

1863

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान), उपाचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर क्रिया विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इसमें उक्त नियम कहा गया है) में क्रम संख्यांक 2 में वर्णित पद के सामने,—

- (i) स्तंभ 5 के अधीन, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-- ''चयन''
- (ii) स्तंभ 13 के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :---
 - ''समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

. 1.	गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन	—अध्यक्ष
2.	सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन	—सदस्य
3.	प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़	—सदस्य
\ ^{4.}	सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ के संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष	-सदस्य

[सं. वी. 24011/11/2002-एम ई डेस्क-Ⅱ] एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 500 तारीख 28 नवंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 17th September, 2004

G.S.R. 324.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Physiology), Reader (Physiology) and Senior Lecturer (Physiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

 (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Physiology), Reader (Physiology) and Senior Lecturer (Physiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.
 In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Physiology), Reader (Physiology)

and Senior Lecturer (Physiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), against the post appearing at serial number 2,—

- under column 5, for the entry, the following entry shall be substituted, namely : "Selection",
- (ii) After the existing entry under column 13, the following entries shall be inserted namely :----

"Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation), consisting of :-

- 1. Home Secretary, Chandigarh Administration
- Secretary, Medical Education and Research Chandigarh Administration
 Principal,
- Government Medical College and Hospital, Chandigarh

4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh

[No. V. 24011/11/2002-ME Desk-II] S. K. MISHRA, Under Secy.

-Chairman

-Member

-Member

-Member"

THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE REAL PROPE

Foot note : The Principal rules were published vide number G.S.R. 508 dated the 28th November, 2002.

2778 GI 04-4

THE GAZETTE OF INDIA: FEBRUARY 8, 2003/MAGHA 19, 1924

-10

Note:

(a) Unfilled vacancies pertaining to a particular year shall not be carried over.
(b) If more of such employees than the number of vacancies available under clause
(ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.
(ii) 5% of the vacancies shall be filled up on the basis of seniority-cum-fitness from

12

amongst Group 'D' employees who possess Matriculation or equivalent qualifications.

[F. No. A-12018/1/2001-F&VP (Admn.)] M. JAYARAMAN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 56 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक, जैव भौतिकी (शरीर क्रिया विज्ञान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक जैव भौतिक (शरीर क्रिया विज्ञान) (समुह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिदिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

[भाग II—ख	ण्ड 3(i)]		भारत का राज	पत्र : फरवरी 8	, 2003/माघ 19, 1924	26
	a forenda i te			अनुसू	ची	
पद को नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह- ज्येष्ठता अथ अचयन पद		सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नह
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ प्राध्यापक, जैव भौतिकी (शरीर क्रिया विज्ञान)	01 * (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननु- सचिवीय	14300-400- 15900-450- 18600-500- 20100 ₹.	लागू नहीं होता	पचास वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसा 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लि निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेद प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारी होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप- खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं र ए न ख र,
गेधे भर्ती कि	ए जाने वाले व्यक्ति	क्तयों के लिए	अपेक्षित, शैक्षिक	5 और अन्य अ	ईताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले परिवी व्यक्तियों के लिए विहित हो आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	क्षा की अवधि, यदि
a den de set	******	8			9	10 '
को अनुसूची किसी राज्य अ होना चाहिए। (ii) किसी म एम.एस.सी. ((जैब भौतिकी जैव भौतिकी (iii) स्नातक जिसमें 4 वर्ष (iii) स्नातक जिसमें 4 वर्ष (iii) स्नातक जिसमें 4 वर्ष संस्था में उपा टे टप्पण 1 :- सेवा आयोग देशा में तब जि सेवा आयोग अपेक्षित अनु	i) भारतीय आयुर्वि में सम्मिलित कोई गयुर्विज्ञान रजिस्ट गन्यताप्राप्त विश्वी (जैव भौतिकी य (जैव भौतिकी य (जैव भौतिकी य)/एम डी (शरीर में एक वर्ष का में एक वर्ष का को अनुभव किसी चार्य/सहयुक्त आ —अईताएं, अन्य के विवेकानुसार जिथिल की जा सक की यह राय है वि भव रखने वाले की संभावना नही	र एक मूल विश् र या भारतीय अ वेद्यालय/संस्था ा चिकित्सा क (क्रिया विज्ञान प्रशिक्षण। करने के पश्च मान्यताप्राप्त अ चार्य के रूप मे वार्य के रूप मे शथिल की जा अर्हता (अर्हत यों और अनुसू कती हैं जब च 5 उनके लिए अ उन समुदायों	खविद्यालय या स आयुर्विज्ञान रजिस से एम.डी. (जैव जैव रसायन) अं) या एम डी (जै गत् वृत्ति म <u>ें 10 ड</u> ायुर्विज्ञान महावि i होना चाहिए। तभ्यर्थियों की दश् सकती है। ताएं) संघ लोव चित जनजातियों त्यन के किसी प्र नारक्षित रिक्तियों	मतुल्य अर्हता टर में रजिस्ट्रीव व भौतिकी)/ ौर पी.एच.डी. व रसायन) अँ वर्ष का अनुभव द्यालय/शिक्षण ता में संघ लोक क सेवा आयोग के अभ्यर्थियों कम पर संघ ल को भरने के ति	और कृत रे रे के की तेक नए	एक वर्ष
224 GI/20	103—4					

268

THE GAZETTE OF INDIA: FEBRUARY 8, 2003/MAGHA 19, 1924

[PART II-SEC. 3(i)]

भर्ती को पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11		12
सीधी भर्ती		लागू नहीं होता
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	12/24-1	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13		14
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय	। प्रोन्नति समिति :	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन	—अध्यक्ष	
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन	—सदस्य	
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और		
अस्पताल, चंडीगढ	—सदस्य	
 संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, 		
सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़	—सदस्य	
1	new States and	[फा सं वी 24011/12/2002-THE ई टेस्क-II]

[फा. सं. वी. 24011/12/2002-एम ई डेस्क-II] एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Department of Health)

New Delhi, the 22nd January, 2003

G.S.R. 56.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Lecturer in Biophysics (Physiology) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer in Biophysics (Physiology) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the post as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

5. Disqualifications .- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

A			SC	HEDULE		
lame of ost	No. of post	Classification So	cale of pay	Whether selec- tion by merit or Selection-cum- seniority or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
enior ecturer in Bio-Physics Physiology)	01* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group ' Gazetted, Non-Ministeria	A' 15900-450 18,150.)- applicable icing e for	Not exceeding fifty ycars' (Relaxable for Government servants upto 5 years in accord- ance with the instruction or orders issued by the Central Govt.). Note : The crucial data for determining the age limit shall be the closin date for receipt of appl cations from candidate in India (and not the closing date prescribe for those in Assam, Meghalaya, Arunachal H Mizoram, Manipur, Naj land, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir Si Lahaul and Spiti Dista and Pangi Sub-Divisio of Chamba District Himachal Pradesh, Andaman and Nicob Islands or Lakshadw	ns e e ng i- es Pradesh, ga- ; tate, ,rict on of ar
Educationa other qualit required for recruits	fications	educat ficatio for dir will ap	her age and ional quali- ns prescribed ect recruits oply in the of promotees	Period of probation, if any	direct recruitm	nitment whether by ent or by promotion ion/absorption and the posts to be fille thods
	3		9	10	11	
		No	tapplicable	One year	Direct recruitm	CIII

A		81 - 1 - 1 - 5 ⁻	SCH	EDULE		
ame of ost	No. of post	Classification Scal		Whether selec- tion by merit or Selection-cum- seniority or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6 1	7
enior ecturer in io-Physics Physiology)	01* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 14,300-4 15900-450- 18,150. PLUS Non-Practic Allowance f Medical Gra only.	applicable sing for	Not exceeding fifty years' (Relaxable for Government servants upto 5 years in accord- ance with the instruction or orders issued by the Central Govt.). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closin date for receipt of appli cations from candidate in India (and not the closing date prescribe for those in Assam, Meghalaya, Arunachal P Mizoram, Manipur, Nag land, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir St Lahaul and Spiti Dista and Pangi Sub-Divisio of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicoba Islands or Lakshadwa	g
Educationa other qualit required for recruits	fications	education fications for direct will app	r age and mal quali- prescribed et recruits ly in the promotees	Period of probation, if any	direct recruitme	nitment whether by ent or by romotion on/absorption and the posts to be filled hods
	3		9	10	11	
qualification the Sched Council Admust be re Register o (ii) M.D. (Physics or	University or on included ir ules to India ct, 1956 (102 o gistered in a S r Indian Medi- Bio-Physics)/f Medical Bioc D. (Bio-Physics) or M.D. (Bio-	equivalent any one of m Medical f 1956) and tate Medical cal Register. M.Sc. (Bio- chemistry) ics)/M.D.	pplicable	One year	Direct recruitme	CIII

an a	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
	Committee exists, what is its

2	B	14
Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration. —Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh. —Member 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh. —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.
		24011/12/2002-ME Desk-II S. K. MISHRA, Under Secy

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 57.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में सांख्यिकी-विद्-सह-ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नान और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, सांख्यिकी-विद्-सह-ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) (समुह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

1

270

1828

New Delhi, the 31st August, 2004

G.S.R. 307.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Statistician-cum-

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Statistician-cum-Senior Lecturer (Community Medicine) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment (Amendment) Rules, 2004. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Statistician-cum-Senior Lecturer (Community Medicine) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules) in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted as applied tablead instantion of

3. In the said rules, in the Schedule for the entry under column 4, the entry "Rs. 14300-400-15900-450-18150" shall be substituted. trais 1 million figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

[No. V.-24011/12/2002-ME Desk-II]

vioren a botena da se do rano ana actividada e unalos sobre vines sus S.K. MISHRA, Under Secy. Footnote: The Principal rules were published vide number G.S.R. 57, dated the 22nd January, 2003.

सा. का. नि. 308.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्न्दिझन महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक जैव भौतिकी (शरीर क्रिया विज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक जैव भौतिकी (शरीर क्रिया विज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

annual Real of the operation logarithe (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। dragtannia tallgzoff busegates to assi

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक जैव भौतिकी (शरीर क्रिया विज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती तियम, 2002 के नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक रखे जाएंगे।

ती के अधिकार में लिएटी आजनाम कार्डी जगे। borth कर में दिन कार्यताम को कर्मकोठ तिमन व[संल वीक-24011/12/2002-एम ई:डेस्क-II]

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा०का०नि० सं० 56, तारीख 22 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। चित्रिया। (सम्रह के एतमस्ति पर) मधी निर्मत

New Delhi, the 31st August, 2004

G.S.R. 308.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer in Biophysics (Physiology) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002, namely:---

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer in Biophysics (Physiology) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer in Biophysics (Physiology) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002 in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted. The second of the concern and a solid reference way to prove the relation and

[No. V-24011/12/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secv.

Footnote : The Principal rules were published vide number G.S.R. 56, dated the 22nd January, 2003.

11-777 2 172-02000 () (CPS +649 68]

गमन कुन्न मिख्र, आस जोपर